तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा बमुकदमा नत्थीलाल वगै. वि. रामस्वरूप वगैरह
25-6-10	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार शिविर महपारा में पेश हुई पश्चात आहूत समझाइश की गयी। उभय वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 3 के खिलाफ निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु पेश किया है। पक्षकारों को उपस्थित समझाइश के बारे में चर्चा की गयी, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर पत्थर कोई बाधा न करने पर सहमति प्रकट की। इसलिये इस स्तर वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ। अतः आदेश है कि उभय वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख.न. 2930/2108 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा स्थित ग्राम महपारा तहसील राजाखेड़ा से वादीगण को पत्थर के पत्थर नहीं नहीं कोई विघ्न करेंगे एवं अन्य कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे पर्चा डिग्री जारी हो। पत्रावली कैफियत सुमार होकर बाद तकमील शामिल रिकार्ड हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)